



ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में लघु उद्योग की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)

मुक्ता वैश्याव

स्वतंत्र शोधकर्ता, समाजशास्त्र विभाग, पाठक गली श्री विहार, न्यू सरकंडा बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी सामाजिक एवं व्यावसायिक सहभागिता को बढ़ाने में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। लघु उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी उनके आर्थिक-सामाजिक एवं व्यावसायिक सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने में सहायक होती है। लघु उद्योगों से जुड़कर महिलाएँ आय अर्जित करने के साथ-साथ अपने कौशल का विकास करती हैं तथा आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करती हैं। विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योगों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग तथा बाजार संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में लघु उद्योगों की भूमिका का विश्लेषण करना तथा यह ज्ञात करना है कि लघु उद्योग ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक सशक्तिकरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही अध्ययन में लघु उद्योगों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता, उपलब्ध अवसरों तथा उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।

मूल शब्द: महिला सशक्तिकरण, लघु उद्योग, भासकीय योजनाएं, विकास, प्रशिक्षण आदि।

छत्तीसगढ़ में लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रमुख हैं।

लघु उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में रायपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रावाभाटा में 22.618 हेक्टेयर क्षेत्र में मेटल पार्क स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे एवं लघु उद्योगों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना है। मेटल पार्क में 25% भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई है। इसी क्रम में प्लास्टिक उद्योग से संबंधित कौशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 77% प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। देश में लघु उद्योगों की हिस्सेदारी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का योगदान 14%, महाराष्ट्र का 6%, तमिलनाडु का 8% तथा कर्नाटक का 5% है। उत्तर प्रदेश में लगभग 89.99 लाख लघु उद्योग इकाइयाँ संचालित हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 8.48 लाख लघु उद्योग इकाइयाँ कार्यरत हैं।

लघु उद्योग

लघु उद्योग से आशय ऐसे छोटे स्तर के उद्योगों से है, जिनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी, सीमित श्रमशक्ति तथा स्थानीय संसाधनों एवं तकनीकी साधनों का उपयोग करके वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इन उद्योगों में हस्तकौशल के साथ मशीनों एवं आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा आय के स्रोत बढ़ाने में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लघु उद्योग की आवश्यकता

ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति आज भी अपेक्षाकृत कमजोर है। सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अनेक महिलाएँ घर से बाहर जाकर नियमित रोजगार नहीं कर पाती हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से महिलाएँ अपने घरेलू दायित्वों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी सहभागिता कर सकती हैं। लघु उद्योग महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक हैं। अतः ग्रामीण महिलाओं के रोजगार, आय एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

ग्रामीण महिलाओं के लिए भासकीय योजनाएं

समाज के विकास का प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं के विकास से है। महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इनमें प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

- **स्वाधार गृह योजना:** संकटग्रस्त एवं असहाय महिलाओं को आश्रय, चिकित्सा, कानूनी सहायता एवं पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए संचालित की गई।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम:** महिलाओं को कौशल विकास एवं स्व-रोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
- **राजीव गांधी योजना (सबला):** वर्ष 2011 में शुरू इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य एवं विकास को बढ़ावा देना है।

- **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:** गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व अवधि में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई।

वर्तमान परिदृश्य में लघु उद्योग को बढ़ावा देने तथा महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने में उद्देश्य व चुनौतियों का सामना करने और प्रोत्साहन के लिए देश के विभिन्न राज्यों में प्रमुख योजनाएं संचालित हैं— अन्नपूर्णा स्कीम, स्त्री भाक्ति पैकेट, सेंट कल्याणी स्कीम, मुद्रा योजना स्कीम, महिला उत्तम निधि स्कीम, देना भाक्ति स्कीम, ओरिएंट महिला विकास योजना स्कीम, भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर उन्हें समाज तथा राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी के लिए सक्षम बनाना है।

लघु उद्योगों को भासकीय सहायता

1. **वित्तीय सहायता:** सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा महिला उद्यमियों को ऋण एवं अन्य वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
2. **कर एवं पंजीयन संबंधी सुविधाएँ:** लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए करों में रियायत तथा पंजीयन एवं लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है।
3. **प्रचार-प्रसार एवं बाजार सुविधा:** मेलों, प्रदर्शनियों एवं अन्य माध्यमों से महिला उद्यमियों के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विपणन में सहायता की जाती है।
4. **संस्थागत सहयोग:** विभिन्न सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, ऋण एवं व्यवसाय संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5. **स्वरोजगार योजनाएँ:** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार एवं लघु व्यवसाय के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

लघु उद्योग के लाभ

1. **महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि:** लघु उद्योग ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएँ अपने समय एवं कौशल के अनुसार विभिन्न उत्पाद तैयार कर सकती हैं। इससे उनकी आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ती है।
2. **घरेलू आय में सहयोग:** लघु उद्योगों से प्राप्त आय महिलाओं को परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं में योगदान देने में सक्षम बनाती है। विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की आय घरेलू खर्च, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है।
3. **स्वरोजगार को प्रोत्साहन:** इन उद्योगों के लिए बड़े निवेश या अत्याधुनिक तकनीक की अनिवार्यता नहीं होती। इसलिए ग्रामीण महिलाएँ अपने उपलब्ध साधनों तथा कौशल के आधार पर छोटे स्तर पर कार्य प्रारंभ कर सकती हैं तथा स्वरोजगार का अवसर प्राप्त कर सकती हैं।
4. **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती:** स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का निर्माण और उनका विक्रय होने से ग्रामीण क्षेत्रों में

आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है। इससे स्थानीय बाजार सक्रिय होते हैं तथा आय के विभिन्न अवसर विकसित होते हैं।

5. **स्थानीय कला एवं कौशल का व्यावसायीकरण:** ग्रामीण महिलाओं के पारंपरिक कौशल, जैसे कढ़ाई, हस्तशिल्प, मिट्टी के उत्पाद, लकड़ी की कलाकारी एवं सजावटी वस्तुओं को लघु उद्योगों के माध्यम से बाजार से जोड़ा जा सकता है। इससे पारंपरिक कौशल को आर्थिक मूल्य प्राप्त होता है।

6. **स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग:** लघु उद्योगों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, पशुधन तथा अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है।

समस्याएं

वर्तमान समय में महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं, किंतु उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफल होना उनके लिए अभी भी अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं से जुड़ा है। ग्रामीण महिलाओं के समक्ष प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. **कौशल संबंधी समस्या:** पर्याप्त प्रशिक्षण, कौशल विकास, संगठन एवं मार्गदर्शन का अभाव।
2. **प्रशासनिक समस्याएँ:** जटिल सरकारी नीतियाँ, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, नौकरशाही एवं उचित निर्देशन का अभाव।
3. **सामाजिक समस्याएँ:** पुरुष प्रधान व्यवस्था, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव तथा सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व।
4. **वित्तीय समस्याएँ:** पर्याप्त पूंजी, वित्तीय नियोजन एवं पूंजी के उचित उपयोग से संबंधित कठिनाइयाँ।
5. **पारिवारिक दायित्व:** घरेलू जिम्मेदारियों के कारण उद्यम में सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त समय का अभाव।
6. **उत्पाद संबंधी समस्या:** उत्पाद के संरक्षण, गुणवत्ता एवं विपणन से संबंधित कठिनाइयाँ।
7. **प्रौद्योगिकी संबंधी समस्या:** आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण का अभाव।

सुझाव

1. ग्रामीण महिलाओं के कौशल में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे की अधिक-से-अधिक महिलाएँ लघु उद्योग स्थापित कर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें।
2. महिला उद्यमियों के लिए पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि उपलब्ध वित्तीय सहायता का प्रत्यक्ष लाभ उन्हें प्राप्त हो सके।
3. महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए परिवार का सहयोग, प्रोत्साहन एवं आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
4. संचार एवं परिवहन की उचित व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि महिला उद्यमी ग्राहकों से आसानी से जुड़ सकें तथा अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचा सकें।
5. कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादित वस्तुओं के विक्रय हेतु स्थानीय स्तर पर उपयुक्त बाजार की व्यवस्था की जाए।
6. ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा एवं तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, ताकि वे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाएँ अपनी क्षमता एवं कौशल के आधार पर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण, उचित मार्गदर्शन, आवश्यक जानकारी तथा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। लघु उद्योग महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय का महत्वपूर्ण साधन होने के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देते हैं। महिलाओं की सहभागिता से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि उनमें आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का भी विकास होता है। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ परिवार तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लघु उद्योगों से जुड़ रही हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा ऋण, सब्सिडी तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। यदि महिलाओं को पर्याप्त पूंजी, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, बाजार एवं परिवहन जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, तो लघु उद्योगों में उनकी सहभागिता को और बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सोनमे पदमा एवं सिलवाल कविता (2013) लघु एवं औद्योगिक उद्योग के क्षेत्र में महिला की भूमिका, सामाजिक विज्ञान में प्रगति का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 1(2) : पृष्ठ संख्या – 63–65.
2. भाटिया डॉ. एच. एस. एवं त्रिपाठी सत्यदेव (2016) छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लघु उद्योगों की स्थिति, Indian Journal of Applied Research, 6(3) : पृष्ठ संख्या – 413.
3. पारीक पूर्वी और बगरेचा छाया (2017) लघु उद्योगों में कार्यरत महिला उद्यमियों की चुनौतियों और कार्य-जीवन संतुलन का विशयगत विश्लेषण, 21(4), Doi-10.1177/0972262917739181 : पृष्ठ संख्या – 461–472.
4. देवांगन सरिका कुमारी एवं गुप्ता तपेश चंद्र (2019) छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में योगदान का विश्लेषण, ISSN- 2454-2687, ISSN-2347-5145, 7(1).
5. अग्रवाल भोभा एवं अग्रवाल अमित कुमार (2021) छत्तीसगढ़ में एमएसएमई की स्थिति, भोध समागम, Double-blind, Peer-reviewd, Quarterly, Multidiciplinary And Multilingual Research journal, 4(3) : पृष्ठ संख्या – 2138–2141.
6. धुर्वे श्रीमती वंदना एवं नाथवानी डॉ. चन्द्रिका (2022) कुटीर उद्योग में संलग्न महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का अध्ययन, International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 9(3) : पृष्ठ संख्या– 804–810.
7. पांजवानी मनीशा और नेमा डॉ. दीपक (2022) लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका (सतना जिले के विशेष संदर्भ में), International Journal of Advance Research in Science and Engineering : पृष्ठ संख्या–56–66.
8. भार्मा डॉ. कुमकुम (2022) महिलाओं की स्थिति सुधार में कुटीर उद्योगों की भूमिका समीक्षात्मक अध्ययन, ISSN. 2349.5162, 9(2) : पृष्ठ संख्या – 85–93.
9. सिंह एस. के. और भार्मा आर. के. (2023) छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी : चुनौतियाँ और अवसर, Indian Journal of Women Studies, 12(1) : पृष्ठ संख्या – 23–35.
10. सिंह ए. के. और कुमार पी. (2023) छत्तीसगढ़ में लघु उद्योगों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण : एक अध्ययन, Journal of Entrepreneurship and Management, 12(2) : पृष्ठ संख्या – 1–15.
11. जैन एस. के. एवं भार्मा आर. के. (2023) छत्तीसगढ़ में लघु उद्योगों में महिला उद्यमिता चुनौतियाँ और रणनीतियाँ, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 12(1) : पृष्ठ संख्या – 1–20.
12. चौरसिया डॉ. नीलम (2023) ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में लघु एवं प्रयोगशाला उद्योग की भूमिका, ISSN. 2349.5162, 10(1) : पृष्ठ संख्या– 718.
13. <https://open.lib.umn.edu/hindiurdu/chapter/8-4-government-empowerment-women/>